

# 1. भारत में बाघ संरक्षण

## 1.1. बाघ

- बाघ (पेंथेरा टाइग्रिस) फेलिडे परिवार के स्तनधारी हैं और पेंथेरा जीनस में चार "बड़ी बिल्लियों" में से एक हैं।
- यह सभी एशियाई बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़े होते हैं। बाघ शिकार के लिए मुख्य रूप से गंध के बनाय दृष्टि और ध्वनि पर निर्भर होते हैं।
- बड़ी बिल्लियों में केवल टाइगर और जगुआर ही मजबूत तैराक हैं।
- बाघ अकेले शिकार करते हैं और मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर, गौर और जल भैंस को खाते हैं।
- दुनिया भर में, बाघों को **संकटग्रस्त** (endangered) जानवर माना जाता है।
- रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ की सबसे आम उप-प्रजाति है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है।

### 1.1.1. प्राकृतिक आवास

- बाघ विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल, सदाबहार वन, घास के मैदान, सवाना और चट्टानी क्षेत्र।
- जंगल में, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान और बर्मा और चीन के कुछ हिस्सों के खंडित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जंगलों, दलदली भूमि और लंबे घास के मैदानों में रहते हैं।

### 1.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- अपनी सीमा के पार, बाघों को अवैध शिकार, जवाबी हत्याओं, और निवास स्थान के नुकसान से लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है।
- उन्हें घनी और अक्सर बढ़ती मानव आबादी के साथ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है।

## 1.2. प्रोजेक्ट टाइगर

### 1.2.1. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत

- प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल, 1973 को भारत में शुरू की गई एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना है।
- इस परियोजना को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था।

### 1.2.2. प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य

- प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर्स (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस) को विलुप्त होने से बचाना था।
- परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से गठित बाघ अभयारण्यों में बाघों का संरक्षण करना और उनके प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार्य बाघों की आबादी को बनाए रखना है।

### 1.2.3. प्रोजेक्ट टाइगर की पृष्ठभूमि

- प्रोजेक्ट टाइगर से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता में **टाइगर टास्क फोर्स की नियुक्ति** की थी।
- इस टास्क फोर्स ने 1972 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में भारत में सिर्फ 1827 बाघों के होने का खुलासा हुआ था।
- जैविक दबाव को देखते हुए, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अगर तत्काल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो 20वीं सदी के अंत तक बाघ विलुप्त हो जायेंगे।
- 1970 के दशक में, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में **9 टाइगर रिजर्व** स्थापित किए गए थे।
- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में स्थापित 9 टाइगर रिजर्व थे:
  - मानस (असम), पलामू (बिहार), सिमिलिपाल (उड़ीसा), कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश), कान्हा (मध्य प्रदेश), मेलघाट (महाराष्ट्र), बांदीपुर (कर्नाटक), रणथंभौर (राजस्थान) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)।

### 1.2.4. प्रोजेक्ट टाइगर की रणनीति

- रिजर्व के भीतर मानव गतिविधि को प्रतिबंधित करने के प्रयास में पहली टास्क फोर्स ने **कोर-बफर रणनीति** तैयार की थी।

- मुख्य क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था और सभी **मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था; और बफर क्षेत्र '**संरक्षण उन्मुख भूमि उपयोग**' के अधीन थे।
- मुख्य क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने का विचार था, लेकिन वे बफर क्षेत्रों में बाघों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते थे।
- संरक्षण सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन योजना तैयार की गई थी।

### 1.2.5. फंडिंग पैटर्न

- सभी गैर-आवर्ती वस्तुओं पर व्यय के लिए राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
- आवर्ती वस्तुओं के लिए, केंद्रीय सहायता व्यय के 50% तक सीमित है, जबकि परियोजना राज्यों द्वारा एक समान अनुदान प्रदान किया जाता है।
- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को दोनों मामलों में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

### 1.2.6. प्रोजेक्ट टाइगर का प्रशासन

- प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- परियोजना के समग्र प्रशासन की निगरानी एक संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करता है।

### 1.2.7. प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियां

- प्रोजेक्ट टाइगर ने लुप्तप्राय बाघ को विलुप्त होने से बचाया है, और इसके निवास स्थान की सुरक्षा और स्थिति में सुधार करके प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित मार्ग पर रखा है।
- भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2023 को 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50वें वर्ष के रूप में चिह्नित किया है।
- 1973 में नौ टाइगर रिजर्व से बढ़कर 2024 में 55 टाइगर रिजर्व हो गए हैं।
- प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करते हुए, परियोजना ने पौधों और जानवरों की कई अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है।
- राज्यों को स्थानीय कार्यबल, पूर्व सैन्य कर्मियों की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- सीमांत क्षेत्रों में पर्यावरण विकास संबंधी निवेशों के अलावा पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं।
- परियोजना ने वन्यजीव प्रबंधन योजना, आवास बहाली, संरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य किया है।

### भारत में टाइगर रिजर्व की सूची (अप्रैल, 2024 तक)

क्रमांक	टाइगर रिजर्व (TR)	राज्य	TR अधिसूचना वर्ष	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	बांदीपुर	कर्नाटक	2007	1456.3
2	कॉर्बेट	उत्तराखंड	2010	1288.31
	अमानगढ़ बफर*	उत्तर प्रदेश	2012	80.60
3	काण्हा	मध्य प्रदेश	2007	2,051.79
4	मानस	असम	2008	2,837.10
5	मेलघाट	महाराष्ट्र	2007	2,768.52
6	पलामू	झारखंड	2012	1,129.93
7	रणथंभौर	राजस्थान	2007	1,411.29
8	सिमलीपाल	ओडिशा	2007	2,750.00
9	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	2007	2,584.89

10	पेरियार	केरल	2007	925.00
11	सरिस्का	राजस्थान	2007	1,213.34
12	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	2009	757.90
13	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	2009	2,799.07
14	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1987	2,052.82
15	नागार्जुनसागर सागर	आंध्र प्रदेश	2007	3,296.31
16	दुधवा	उत्तर प्रदेश	2010	2,201.77
17	कलक्काड़ मुंडनतुरई	तमिलनाडु	2007	1,601.54
18	वाल्मिकी	बिहार	2012	899.38
19	पेंच	मध्य प्रदेश	2007	1,179.63
20	ताडोबा अंधारी	महाराष्ट्र	2007	1,727.59
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	2007	1,536.93
22	पन्ना	मध्य प्रदेश	2007	1,598.10

23	डम्पा	मिजोरम	2007	988.00
24	भद्र	कनटक	2007	1,064.29
25	पेंच - MH	महाराष्ट्र	2007	741.22
26	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	2012	1,198.45
27	नामेरी	असम	2000	464.00
28	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	2007	2,133.31
29	अन्नामलाई	तमिलनाडु	2007	1,479.87
30	उदंती सीतानदी	छत्तीसगढ़	2009	1,842.54
31	सतकोशिया	ओडिशा	2007	963.87
32	काजीरंगा	असम	2007	1,173.58
33	अचानकमार	छत्तीसगढ़	2009	914.02
34	काली	कनटक	2007	1,097.51
35	संजय धुबरी	मध्य प्रदेश	2011	1,674.50

36	मुदुमलई	तमिलनाडु	2007	688.59
37	नागरहोल	कर्नाटक	2007	1,205.76
38	परम्बिकुलम	केरल	2009	643.66
39	सह्याद्री	महाराष्ट्र	2012	1,165.57
40	बिलिगिदि रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	2007	574.82
41	कवल	तेलंगाना	2012	2,015.44
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	2013	1,408.40
43	मुकुंदरा	राजस्थान	2013	759.99
44	नवेगांव नागझिरा	महाराष्ट्र	2013	1,894.94
45	अमराबाद	तेलंगाना	2015	2,611.39
46	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	2014	730.25
47	बोर	महाराष्ट्र	2012	816.27
48	राजाजी	उत्तराखंड	2015	1075.17

49	ओरंग	असम	2016	492.46
50	कमलांग	अरुणाचल प्रदेश	2017	783.00
51	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	तमिलनाडु	2021	1016.57
52	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	राजस्थान	2022	1501.8921
53	रानीपुर टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश	2022	529.3612
54	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	2023	2339.12
55	धौलपुर - करौली टाइगर रिजर्व	राजस्थान	2023	599.6406
			कुल	78,735.5966 वर्ग कि.मी

\* अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का एक बफर जोन है और इसे एक अलग टाइगर रिजर्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें 80.6 वर्ग किमी (31.1 वर्ग मीटर) का एक बफर जोन है, लेकिन महत्वपूर्ण बाघ आवास का कोई मुख्य क्षेत्र नहीं है।

## राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- 2005 के टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006** के तहत NTCA का गठन किया गया है।
- इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ की गई थी।
- NTCA का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके।
- प्राधिकरण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अलावा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- यह भविष्य की संरक्षण योजना, बाघ अनुमान, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्त, अप्रिय घटनाओं पर रिपोर्ट और ऐसे अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित सुरक्षा उपायों पर जानकारी प्रदान करता है, जैसा भी यह उचित समझे।

### 1.3. बाघों की गणना

- यह हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
- राष्ट्रव्यापी बाघ गणना पहले 2006, 2010, 2014 और 2018 में आयोजित की गई थी।
- NTCA राज्य के वन विभागों, संरक्षण गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ साझेदारी में बाघों की गणना करता है।

#### 1.3.1. बाघ गणना 2022

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) का पांचवां चक्र **09 अप्रैल, 2023 को जारी** किया गया था।

#### बाघ गणना 2022 के मुख्य बिंदु

##### जनसंख्या वृद्धि

- भारत में बाघों की आबादी 2018 से 2022 तक 200 बढ़ी है।
- 2018 में दर्ज 2,967 से 2022 में जनसंख्या बढ़कर **3,167** हो गई।

- हालांकि, 2014-2018 के तुलना में इन चार वर्षों में विकास दर लगभग 33 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है।
- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के बाढ़ के मैदानों में बाघों की आबादी सबसे अधिक बढ़ी है, इसके बाद मध्य भारत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों और सुंदरबन का स्थान आता है।

### बाघ अधिभोग में गिरावट

- पश्चिमी घाटों की संख्या में गिरावट आई है, हालांकि "प्रमुख आबादी" को स्थिर बताया गया है।
- अन्नामलाई-परम्बिकुलम परिसर के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों के रहने की संख्या में गिरावट देखी गई।
- हालांकि पेरियार परिदृश्य में बाघों की आबादी स्थिर रही, पेरियार के बाहर बाघों की संख्या में कमी आई है।
- झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों के अधिभोग में गिरावट देखी गई।

### परिदृश्य में संरक्षण प्राथमिकता

- सिमलीपाल में बाघों की आनुवंशिक रूप से अद्वितीय और छोटी आबादी परिदृश्य में उच्च संरक्षण प्राथमिकता है।
- उत्तरपूर्वी पहाड़ी बाघों की आबादी आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है और उनकी कम जनसंख्या आकार और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय वंशावली के कारण देश में संरक्षण कार्रवाई की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- परिदृश्य (शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों) में टाइगर रिज़र्व के बाहर बाघों की संख्या बढ़ने के कारण, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को बाघों और मेगा शाकाहारी जीवों के साथ संघर्ष को कम करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है।

### वन्यजीव आवास में खतरा

- मध्य भारतीय के पहाड़ी इलाके और पूर्वी घाटों के भीतर वन्यजीव आवास (संरक्षित क्षेत्र और गलियारे) कई प्रकार के खतरों का सामना करते हैं, जिनमें आवास अतिक्रमण, बाघों और उनके शिकार दोनों का अवैध शिकार शामिल है।

- मानव और वन्य जीवन के बीच संघर्ष, अनियंत्रित और अवैध पशु चराई, गैर-लकड़ी वन उपज की अत्यधिक कटाई, मानव प्रेरित जंगल की आग, खनन, और कभी-विस्तारित रैखिक बुनियादी ढांचा भी आम हैं।
- इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की कई खदानें भी हैं, इसलिए न्यून खनन प्रभाव तकनीक और खनन स्थलों के पुनर्वास जैसे शमन उपायों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

## 1.4. अन्य संरक्षण प्रयास

### 1.4.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- **भारत ने 9 अप्रैल, 2023 को** इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) लॉन्च किया।
- यह दुनिया में **बड़ी बिल्ली की सात प्रमुख प्रजातियों के रक्षण** और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ये प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता हैं।
- गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली के प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।
- IBCA के माध्यम से, भारत इन प्रजातियों के संरक्षण में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों के साथ साझा करने की उम्मीद करता है जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जहां बड़ी बिल्ली आबादी है।
- गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

### 1.4.2. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (CTHs)

- क्रिटिकल 'टाइगर' हैबिटेट्स (CTHs), जिसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है- की पहचान **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत** की जाती है।
- यह वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है कि "अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, बाघ संरक्षण के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों को अछूता रखा जाना आवश्यक है"।
- CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है।

- आंध्र प्रदेश में **नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व** भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जिसमें **CTH के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है।**

### 1.4.3. एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम (Integrated Tiger Habitat Conservation Programme-ITHCP)

- इसे 2014 में लॉन्च किया गया था।
- यह जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development-BMZ) द्वारा समर्थित एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है।
- यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है, जो 2022 तक जंगलों में बाघों की संख्या दोगुनी करने का एक वैश्विक प्रयास है।

## 1.5. अंतर्राष्ट्रीय पहल

### 1.5.1. अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

- बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए **हर साल 29 जुलाई को** अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (जिसे वैश्विक बाघ दिवस भी कहा जाता है) मनाया जाता है।
- इस दिन को मनाने का लक्ष्य जंगली बाघों के आवासों के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता के माध्यम से समर्थन प्राप्त करना है।
- इसकी स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में हुई थी।
- शिखर सम्मेलन ने 2022 तक बड़ी बिल्ली की आबादी को दोगुना करने के उद्देश्य से बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी की थी।

### 1.5.2. सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा

- बाघों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 21-24 नवंबर 2010 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण फोरम में 13 सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
- उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का समर्थन किया और 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने पर सहमत हुए।

- बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम टाइगर रेंज के देश हैं जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा द्वारा परिकल्पित रणनीतिक योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- 13 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, प्रजातियों के आवासों और सीमा पार गलियारों को बहाल करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी में सुधार करने और बाघों और बाघ उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
- रिकवरी प्रोग्राम सेंट पीटर्सबर्ग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों को बाघों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देने और वन्यजीव कानून प्रवर्तन और कानून को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है।



## Disappearing tigers

Since the turn of the last century, the wild tiger population has fallen from some 100,000 to about 7,500. In the past 50 years, three subspecies have been lost to extinction — the Bali, Javan and Caspian tigers.

Experts estimate that the 10,000 captive-bred tigers in private hands in the United States outnumber all tigers living in the wild.




Figure: टाइगर/बाघ रेंज के देश

### 1.5.3. ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) एकमात्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसकी स्थापना बाघों की रक्षा के लिए वैश्विक अभियान शुरू करने के इच्छुक देशों के सदस्यों के साथ की गई है।
- GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था।
- यह दुनिया के **13 टाइगर रेंज के देशों** में वितरित बाघों की शेष 5 उप-प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है।

- यह सहकारी नीतियों, सामान्य दृष्टिकोण, तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक मॉड्यूल और अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों का उपयोग करता है।
- फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष के लिए चुना गया था और एक अंतरिम सचिवालय बनाने के लिए कहा गया था।
- 1997 में, GAF एक स्वतंत्र संगठन बन गया।

**2. भारत में शेर संरक्षण - Already covered in a separate handout earlier**

**3. भारत में गैंडे का संरक्षण - Already covered in a separate handout earlier**

**4. भारत में हाथी संरक्षण - Already covered in a separate handout earlier**

**5. भारत में घड़ियाल संरक्षण**

**5.1. घड़ियाल**

- घड़ियाल (*गैवियलिस गैंगेटिकस*) विकासशील रूप से दुनिया का सबसे अनोखा मगरमच्छ है, गहरी तेज बहने वाली नदियों में रहते हैं और मछली खाते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए हानिरहित हैं।
- नासिका के ठीक ऊपर परिपक्व पुरुषों के थूथन की नोक पर बल्बनुमा 'घड़ा' जानवर की उपस्थिति और प्रभुत्व का विज्ञापन करने के लिए सूंघने की फुफकार पैदा करने में मदद करता है।
- घड़ियाल मार्च और मई के बीच घोंसला बनाते हैं। महिला घड़ियाल रेत के किनारों में अंडे के कक्षों की खुदाई करती हैं, जिसमें औसतन 60 अंडे जमा होते हैं, जिसमें से 90 दिनों में बच्चे निकलते हैं।

### 5.1.1. प्राकृतिक आवास

- घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक हैं।
- कभी दक्षिण एशिया की सभी प्रमुख नदी प्रणालियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला घड़ियाल अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और भूटान में विलुप्त हो गया है।
- नेपाल में केवल अवशेष प्रजनन आबादी है।
- भारत में भी, प्रमुख प्रजनन आबादी केवल दो नदियों, गिरवा और चंबल तक ही सीमित है।
- घड़ियाल को IUCN रेड लिस्ट में '**गंभीर रूप से संकटग्रस्त**' (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत सरकार ने घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत लाकर उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है।
- **नोट:** ओडिशा का केंद्रपाड़ा 29 अगस्त, 2021 को देश में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों का घर होने वाला भारत का एकमात्र जिला बन गया।

### 5.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- ★ **पर्यावास परिवर्तन और विनाश:** भूमि-उपयोग परिवर्तन और शोषण का एक संयोजन जैसे कि रेत-खनन, नदी के किनारे की कृषि, पशुधन चराई, और हाइड्रोलॉजिकल संशोधन जैसे पानी के मोड़ के लिए बांधों का निर्माण।
- **शिकार की कमी:** मछलियों के स्टॉक का अधिक संग्रहण। बांधों और बैराजों का निर्माण मछली के फैलाव और प्रवास को बाधित करता है।
- **प्रत्यक्ष मृत्यु दर:** मछली पकड़ने के जाल में घड़ियाल का डूबना। इसका घोंसला विनाश और स्थानीय अंडा-संग्रह।
- **प्रदूषण और गाद:** नदियों का प्रदूषण और गाद मछलियों के भंडार को नुकसान पहुंचाता है, और 2007-2008 में चंबल में विनाशकारी मौत का प्रत्यक्ष कारण भी माना जाता है।
- **शिकार:** अतीत में, घड़ियाल का शिकार त्वचा, द्राफियों और स्वदेशी चिकित्सा में उपयोग के लिए किया जाता था।

## 5.2. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना

### 5.2.1. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत

- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई थी।
- घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को ओडिशा में 1975 की शुरुआत में शुरू किया गया था, जिसके बाद मगर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था।

### 5.2.2. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के उद्देश्य

- अभयारण्य बनाकर मगरमच्छों की शेष आबादी को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना।
- 'ग्रो एंड रिलीज' या 'रियर एंड रिलीज' तकनीक के जरिए प्राकृतिक आबादी का तेजी से पुनर्निर्माण करना।
- बंदी प्रजनन को बढ़ावा देना।
- प्रबंधन में सुधार के लिए अनुसंधान करना।
- परियोजना की बेहतर निरंतरता के लिए कर्मियों के कौशल का निर्माण करना।
- ★ परियोजना में व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय को शामिल करना।

### 5.2.3. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का प्रशासन

- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्रमशः टिकरपाड़ा, दंगमल और रामतीर्थ में घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर के लिए तीन अलग-अलग अनुसंधान इकाइयां स्थापित की गईं।
- नंदनकानन जैविक उद्यान में सभी तीन प्रजातियों के लिए बंदी प्रजनन योजना का अनुसरण किया गया।
- 1980 में, हैदराबाद में एक मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी।



**KHAN SIR**



#### 5.2.4. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की उपलब्धियां

- सभी तीन मगरमच्छ प्रजातियों (मगर, खारे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल) को विलुप्त होने से बचाया गया है, और उनके कई निवास राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में जोड़े गए हैं।
- कम समय में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पैदा करने के अलावा, मगरमच्छ परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के समग्र दृष्टिकोण में कई योगदान दिए हैं।
- कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि अभयारण्यों में मगरमच्छों को प्रमुख प्रजातियों के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
- अन्य आर्द्रभूमि प्रजातियों को मगरमच्छों के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधित किया गया।

### 5.3. अन्य संरक्षण प्रयास

#### 5.3.1. प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme)

- WWF-इंडिया दिसंबर 2007 में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल संकट के बाद से प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल रहा है।
- ★ उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से, WWF-इंडिया ने हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में एक घड़ियाल पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू किया।
- जनवरी 2009 से अब तक कुकरैल पुनर्वासि केंद्र (लखनऊ) से 250 बंदी पाले गए घड़ियाल गंगा नदी में छोड़े गए हैं।
- टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान के सहयोग से, WWF-इंडिया ने पानी के नीचे के व्यवहार और मुक्त श्रेणी के घड़ियाल के आसपास के आवास को समझने के लिए घड़ियाल बायो-लॉगिंग (Bio-logging) विज्ञान पर एक अध्ययन शुरू किया है।

#### 5.3.2. आगे और क्या किया जा सकता है?

- नदियों को पुनर्जीवित और जीर्णोद्धार करना।
- स्थानीय समुदायों को सभी संरक्षण पहलों का सह-लाभार्थी बनाएं।

- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और अन्य घड़ियाल रेंज क्षेत्रों को तीन राज्यों, यानी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा समन्वित योजना और कार्टवाई के माध्यम से सुरक्षित करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील नदियों को जोड़ने वाली योजनाओं और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना।
- ठोस वैज्ञानिक अध्ययन और घड़ियाल की निगरानी पर आधार संरक्षण योजना।

#### 5.4. घड़ियाल की स्थिति

- 2021 की गणना के अनुसार, चंबल नदी में **886 मगर और 2176 घड़ियाल** रहते हैं।
- चंबल के घड़ियाल संभवतः एकमात्र जंगली आबादी हैं जो एक बड़े, नदी के किनारे के निवास स्थान में रहते हैं और पनपते हैं, जहाँ परिस्थितियाँ अभी भी अनुकूल हैं।
- चंबल में, हर साल करीब 200-300 घोंसलों का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना लगभग 8,000 बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि उनके जीवित रहने की दर सिर्फ 2-3% है।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की त्रिसीमा पर स्थित है और तीन राज्यों द्वारा सह-प्रशासित है।
- चंबल नदी को 1978 में घड़ियाल और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से संरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक अभयारण्य घोषित किया गया था।
- अभयारण्य के अंदर नदी की कुल लंबाई लगभग 600 किमी है।

### 6. भारत में डॉल्फिन संरक्षण

#### 6.1. गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगोटिका गैंगोटिका) और सिंधु नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा माइनर माइनर) मीठे पानी या नदी डॉल्फिन की दो उप-प्रजातियाँ हैं जो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती हैं।
- गंगा नदी डॉल्फिन आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजी गई थी।

- गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं और अनिवार्य रूप से अंधी होती हैं।
- वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करते हैं, जो मछली और अन्य शिकार से उछलते हैं, जिससे वे अपने दिमाग में एक छवि "देख" सकते हैं।
- वे अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाए जाते हैं, और आम तौर पर एक मां और बछड़ा एक साथ यात्रा करते हैं।
- गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी है।
  - यह निर्णय **5 अक्टूबर, 2009** को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की पहली बैठक में लिया गया था।
  - 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### 6.1.1. प्राकृतिक आवास

- भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की वितरण सीमा में सात राज्य शामिल हैं, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
- गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है, जबकि सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान में सिंधु नदी और उसकी ब्यास और सतलज सहायक नदियों में पाई जाती है।

### 6.1.2. संरक्षण के मुद्दे

#### बायकैच

- गंगा नदी डॉल्फिन का निवास स्थान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।
- गंगा नदी डॉल्फिन और लोग दोनों नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहाँ मछलियाँ बहुतायत में होती हैं और पानी का प्रवाह धीमा होता है। इस परिस्थिति में लोगो और डॉल्फिन के लिए कम मछलियाँ रह जाती हैं।
- अधिक डॉल्फिन मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंसने के कारण मर रही हैं, जिसे बायकैच भी कहा जाता है।

#### शिकार करना

- गंगा नदी डॉल्फिन का अभी भी मांस और तेल के लिए शिकार किया जाता है, जो दोनों औषधीय रूप से उपयोग किए जाते हैं। शुद्ध मत्स्य पालन में कैटफिश को आकर्षित करने के लिए भी तेल का उपयोग किया जाता है।

### प्रदूषण

- औद्योगिक, कृषि और मानव प्रदूषण आवास क्षरण का एक और गंभीर कारण है। नदी के आसपास हर साल 9,000 टन कीटनाशक और 6 मिलियन टन उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
- प्रदूषण का उच्च स्तर सीधे शिकार की प्रजातियों (prey species) और डॉल्फिन को मार सकता है, और उनके निवास स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।
- शीर्ष शिकारी के रूप में, नदी डॉल्फिन को उनके शरीर में लगातार जहरीले रसायनों के उच्च स्तर के लिए जाना जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

### आधारभूत संरचना

- 50 से अधिक बांधों और अन्य सिंचाई संबंधी परियोजनाओं के निर्माण के कारण गंगा नदी डॉल्फिन अलग-अलग समूहों में विभाजित हैं।
- बांध के ऊपर फंसे डॉल्फिन विशेष रूप से शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान अवैध शिकार के संपर्क में आने के खतरे में होते हैं।
- बांध के नीचे डॉल्फिन भारी प्रदूषण, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि और पोत यातायात से खतरे में हैं।
- उनके पास भोजन भी कम होता है क्योंकि बांध प्रवासन, प्रजनन चक्र और मछली और अन्य शिकार के आवास को बाधित करते हैं।

## 6.2. संरक्षण के प्रयास

- WWF इंडिया ने गंगा नदी डॉल्फिन के आवास को संरक्षित करने और लुप्तप्राय प्रजातियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
- विक्रमशिला जैव विविधता अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (VBREC), व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण सोसायटी (WDCS) के साथ, पटना विश्वविद्यालय की पर्यावरण जीवविज्ञान प्रयोगशाला, और T.M.

भागलपुर विश्वविद्यालय ने विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के संरक्षण मूल्य में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की है।

- 'आरण्यक', उत्तर पूर्व भारत में काम कर रहे एक पंजीकृत संरक्षण गैर सरकारी संगठन ने, 1989 से डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम) के सहयोग से "ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, भारत में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण" (Conservation of Gangetic dolphin in Brahmaputra river system, India) नामक एक परियोजना शुरू की है।
  - परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में गंगा नदी डॉल्फिन की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करना है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga-NMCG) भी, जो सरकार की प्रमुख योजना नमामि गंगे को लागू करता है, डॉल्फिन को बचाने के लिए कुछ पहल कर रहा है।

### 6.3. प्रोजेक्ट डॉल्फिन

#### 6.3.1. प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2021 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई थी।

#### 6.3.2. प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मौजूदा संरक्षण चिंताओं को दूर करना और हितधारकों को डॉल्फिन के संरक्षण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है।
- डॉल्फिन एक अंब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करती है, और इसका संरक्षण मनुष्यों सहित संबंधित आवास और जैव विविधता की भलाई में योगदान देगा।

#### 6.3.3. परियोजना डॉल्फिन का प्रशासन

- यह 10 साल का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा।

- यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधीन है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- इसमें संरक्षण कार्य योजना को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए लक्षित प्रजातियों और उनके संभावित खतरों की व्यवस्थित स्थिति की निगरानी शामिल है।

#### 6.3.4. गतिविधियाँ

2022 के दौरान परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

- असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सरकार ने डॉल्फिन हॉटस्पॉट की पहचान की है।
- प्रजाति संरक्षण और आवास सुधार; निगरानी और गश्त; डॉल्फिन संरक्षण के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के लिए सुविधाएं और जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक व्यापक कार्य योजना (2022-2047) को अंतिम रूप दिया गया है और कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध के साथ संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है। सभी तटीय राज्यों से अपने-अपने राज्य में डॉल्फिन की आबादी का अनुमान लगाने का अनुरोध किया गया है।

#### 6.4. गंगा नदी डॉल्फिन की स्थिति

- IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट असेसमेंट (जुलाई 2022 में प्रकाशित) द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन को 'संकटग्रस्त' (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नवीनतम मूल्यांकन का महत्व यह है कि यह पिछले एक दशक में गंगा नदी डॉल्फिन पर उत्पन्न सभी सूचनाओं की एक समेकित समीक्षा प्रदान करता है, जिसके दौरान इसकी सीमा के विभिन्न पहलुओं पर कई सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए हैं।
- यह अनुमान है कि लगभग **5,000 वयस्क और किशोर डॉल्फिन** आज मौजूद हैं।
- इस आश्वस्त संख्या के बावजूद, कई मौजूदा और आसन्न खतरों के सामने समग्र प्रवृत्ति निरंतर और स्थिर गिरावट की हो सकती है।

## 7. भारत में गिद्ध संरक्षण

### 7.1. भारत में गिद्ध

- भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पाँच जीनस जिप्स से संबंधित हैं और अन्य चार जेनेरा मोनोटाइपिक हैं।
- 1980 के दशक तक भारत में गिद्ध बहुत आम थे। इस अवधि के दौरान, देश में गिद्धों की तीन निवासी जिप्स प्रजातियों की आबादी 40 मिलियन तक अनुमानित थी।
- लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनकी आबादी कम हो गई और इन गिद्धों में - सफेद पीठ गिद्ध, दीर्घचुंच गिद्ध और बेलनाचुंच गिद्ध - केवल एक दशक (1993-2003) में 96 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

### 7.2. संरक्षण की आवश्यकता

- गिद्धों के संरक्षण की आवश्यकता इस तथ्य के लिए है कि ये अत्यधिक योग्य मुदाखोर लगभग 20 मिनट के अंदर वयस्क मवेशियों के शव को खत्म कर सकते हैं।
- गिद्ध किसी भी प्रभावी शव और बूचड़खाने के अपशिष्ट निपटान प्रणाली के अभाव में भारत में पर्यावरण को स्वच्छ रखते थे और इसके द्वारा शवों को सड़ने से पहले साफ करके महामारी के प्रकोप को रोकते थे।
- गिद्धों की आबादी के दुर्घटनाग्रस्त होने से महामारी में नाटकीय वृद्धि हो सकती है, क्योंकि शव और अपशिष्ट निपटान प्रणाली कमोबेश अपरिवर्तित बनी हुई है।
- इस तरह के महत्वपूर्ण मुदाखोर की अनुपस्थिति कहीं-कहीं पे निश्चित रूप से अन्य मुदाखोर प्रजातियों की संख्या और वितरण को प्रभावित करेगी, उदाहरण के लिए कुछ स्थानों में अगर गिद्धों की संख्या में कमी आई है, तो जंगली कुत्तों की आबादी बड़े पैमाने पे बढ़ी है।
- यह मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए कई संबद्ध रोग जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे रेबीज।

- गिद्धों को संभावित विलुप्त होने से बचाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना (Action Plan for Vulture Conservation-APVC) जारी की थी।

### भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की IUCN स्थिति

1. सफेद पीठ गिद्ध (जिप्स बेंगालेनसिस) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त
2. बेलनाचुंच गिद्ध (जिप्स टेन्युरास्ट्रीस) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त
3. दीर्घचुंच गिद्ध (जिप्स इंडिकस) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त
4. गोपर गिद्ध (निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस) - संकटग्रस्त
5. राज गिद्ध (सरकोजिप्स कैल्चस) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त
6. यूरेशियन पांडुर गिद्ध (जिप्स फलवस) - कम चिंता
7. पांडुर गिद्ध (जिप्स हिमालयेन्सिस) - निकट संकटग्रस्त
8. श्याम गिद्ध (एजिपियस मोनैकस) - निकट संकटग्रस्त
9. अरगुल गिद्ध (जिपिटस बारबेटस) - निकट संकटग्रस्त

### 7.3. संरक्षण के मुद्दे

- वर्षों के शोध के बाद, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि उपमहाद्वीप में गिद्धों की अनुमानित आबादी का लगभग 95 प्रतिशत विनाश का कारण दर्द निवारक डिक्लोफेनाक (Diclofenac) है।
- डिक्लोफेनाक दर्द और सूजन के इलाज के लिए मवेशियों को दी जाने वाली एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है।
- डिक्लोफेनाक को गिद्ध नाशक के रूप में वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' में जनवरी 2004 में प्रकाशित किया गया था।
- पशुओं के शवों को खाना जिन्हें दवा दी गई थी, इन पक्षियों के लिए घातक साबित हुआ।
- मंत्रालय ने बहु-आयामी रणनीति बनाकर इस खोज पर पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
  - डिक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा योगों पर प्रतिबंध,

- दूषित शवों से गिद्धों के खतरे को खत्म करने के लिए दवा मेलोक्सिकैम को लोकप्रिय बनाना, और
- प्रजनन केंद्र खोलना।
- अन्य खतरों में शामिल हैं
  - मानवजनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान।
  - भोजन की कमी और दूषित भोजन।
  - बिजली की लाइन से करंट लगना।

## 7.4. संरक्षण के प्रयास

### 7.4.1. गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 (Action Plan for Vulture Conservation 2020-2025 (APVC 2020-25))

- गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2006 इस योजना को अद्यतन करने का आधार था।
- यह प्रवासी प्रजातियों के अभिसमय (CMS) के अफ्रीकी-यूरोशियन गिद्धों के संरक्षण के लिए बहु-प्रजाति कार्य योजना (The Multi-Species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures (Vulture MsAP)) जैसी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं से लाभान्वित होगा।

#### APVC 2020-25 की मुख्य विशेषताएं

- गिद्धों के प्रमुख भोजन की विषाक्तता को रोकना, जैसे की मवेशियों के शवों में पशु चिकित्सा NSAIDs (गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं) का मिलना। यह सुनिश्चित करना कि पशु चिकित्सा NSAIDs की बिक्री को विनियमित किया जा रहा है और केवल निर्देश पर वितरित किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित करना कि पशुओं का उपचार केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है।
- गिद्धों पर पशु चिकित्सा NSAIDs के उपलब्ध अणुओं का सुरक्षा परीक्षण करना।
- भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो किसी दवा को गिद्धों के लिए जहरीली पाए जाने पर स्वचालित रूप से पशु चिकित्सा उपयोग से हटा दे।

- इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि डिक्लोफेनाक के अलावा अन्य दवाएं जो गिद्धों के लिए जहरीली हैं जैसे एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित हो जाए।
- उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए चार बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।
- देश में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। जबकि इन केंद्रों का प्राथमिक फोकस गिद्धों का प्रजनन होगा, वे गिद्ध संरक्षण केंद्रों के रूप में भी काम कर सकते हैं।

#### 7.4.2. जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (Jatayu Conservation Breeding Centre-JCBC)

- JCBC, जिसे पहले वल्चर केयर सेंटर (VCC) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना सितंबर 2001 में यूनाइटेड किंगडम के डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज फंड के साथ की गई थी, ताकि गिद्धों की निवासी जिप्स प्रजातियों में नाटकीय गिरावट की जांच की जा सके।
- यह केंद्र बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के किनारे जोधपुर (हरियाणा) गांव में स्थित है।
- यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की एक संयुक्त परियोजना है।
- यह गिद्धों की तीन प्रजातियों, सफेद पीठ गिद्ध, दीर्घचुंच गिद्ध और बेलनाचुंच गिद्ध, को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सहयोगी पहल है।

#### 7.4.3. दवाओं पर प्रतिबंध

- 31 जुलाई, 2023 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दो दवाओं, केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक के उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी, क्योंकि इससे जानवरों को खतरा है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
- ये दो दवाइयां तीन "गिद्ध-विषाक्त" दवाओं में से हैं जिन पर संरक्षणवादी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। तीसरी दवा है निमेसुलाइड। संरक्षणवादी सुरक्षित विकल्प के रूप में मेलॉक्सिकैम और टॉल्फेनेमिक एसिड का सुझाव देते हैं।
- दो दवाओं पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ा कदम है, लेकिन अनिवार्य रूप से सभी हानिकारक दवाओं पर एक साथ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

- फैसले में निमोसुलाइड को बाहर कर दिया गया और दूसरी दवा फ्लुनिक्सीन को मांग में शामिल नहीं किया गया है।

#### 7.4.4. गिद्ध रेस्तरां

- हाल ही में (जनवरी, 2024), पशुधन में दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण गिद्धों की तेजी से घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए झारखंड में एक 'गिद्ध रेस्तरां' स्थापित किया गया है।
- गिद्ध रेस्तरां एक अछूता क्षेत्र है जहां गिद्धों और अन्य मुदखिरो के लिए गैर विषैले, जहर मुक्त मांस और शव उपलब्ध कराए जाते हैं।
- पहला 'गिद्ध रेस्तरां' 2015 में पश्चिमी घाट में भूख से मर रहे सफेद दुम वाले गिद्धों के बच्चों के वीडियो के जवाब में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के फांसाड वन्यजीव अभयारण्य में आया था।
- ऐसे चार अन्य रेस्तरां गढ़चिरोली में और एक नासिक जिले के हरसुल में, ये सभी महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हैं।

## 8. भारत में हिम तेंदुए का संरक्षण

### 8.1. हिम तेंदुआ

- हिम तेंदुआ (पेंथेरा उनसिया या उनसिया उनसिया) आमतौर पर 3000 मीटर से ऊपर, हिमालय की उच्च ऊंचाई वाली श्रेणियों और मध्य एशिया में भी पाए जाते हैं। 2023 तक, वैश्विक जनसंख्या 4,000-6,500 अनुमानित है।
- हिम तेंदुए की निवास सीमा एशिया के 12 देशों के पर्वतीय क्षेत्रों में फैली हुई है: अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- कुल सीमा में लगभग 772,204 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 60% निवास स्थान चीन में पाया जाता है। हालाँकि, हिम तेंदुए के 70% से अधिक निवास स्थान अभी भी अज्ञात हैं।
- होम रेंज का आकार नेपाल में 4.6-15.4 वर्ग मील से लेकर मंगोलिया में 193 वर्ग मील तक भिन्न हो सकता है।

- शिकार घनत्व और निवास स्थान की गुणवत्ता के आधार पर जनसंख्या घनत्व <math><0.1</math> से 10 या अधिक व्यक्ति प्रति 38.6 वर्ग मील तक हो सकता है।
- भारतीय हिमालय में हिम तेंदुए का आवास जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 90,000 वर्ग किमी से कम होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 34,000 वर्ग किमी को अच्छा आवास माना जाता है।
- वे IUCN रेड लिस्ट में **सुभेद्य** (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध हैं।

### 8.1.1. हिम तेंदुआ क्यों महत्वपूर्ण है?

- हिम तेंदुआ पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष पर है।
- वे पृथ्वी पर कुछ कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए विकसित हुए हैं।
- वे एक शीर्ष शिकारी के रूप में और उनके उच्च ऊंचाई वाले आवास के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यदि हिम तेंदुए की आबादी किसी जगह विकसित हो रही है, तो अनगिनत अन्य प्रजातियां भी बढ़ेंगी। हिम तेंदुए की रक्षा करके, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक नानुक पहाड़ी परिदृश्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

### 8.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- उनका शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है, जबकि उनकी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों की भी पारंपरिक एशियाई दवाओं में उपयोग की मांग है।
- हिम तेंदुओं की प्रतिशोधात्मक हत्या भी इस प्रजाति के पशुओं के लिए एक बड़ा खतरा है।
- वे अक्सर स्थानीय किसानों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि वे भेड़, बकरी, घोड़े और याक के बछड़ों जैसे पशुओं का शिकार करते हैं।
- जिन जानवरों का हिम तेंदुआ आम तौर पर शिकार करता है- जैसे अर्गाली-भेड़ भी स्थानीय समुदायों द्वारा शिकार किए जाते हैं।

- हिम तेंदुओं को जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और उनके क्षेत्रों में मानव बस्तियों और विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण आवास और शिकार के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।

## 8.2. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड

### 8.2.1. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत

- जनवरी 2009 में, भारत सरकार ने भागीदारी नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देकर उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीवों की आबादी और उनके आवासों की भारत की अनूठी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड' लॉन्च किया था।
- यह परियोजना संरक्षण के लिए एक परिदृश्य दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च संरक्षण मूल्यों वाले छोटे कोर जोन की पहचान और समर्थन किया जाता है, जबकि बड़े परिदृश्य को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है कि स्थानीय समुदायों को आवश्यक विकास लाभ प्रदान किए जाते रहे।

### 8.2.2. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का उद्देश्य

- वन्यजीव संरक्षण के लिए एक परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना।
- मौजूदा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में सुधार करना।
- संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि हिम तेंदुआ और इसकी शिकार प्रजातियों के लिए केंद्रित संरक्षण और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों का समर्थन करना।
- वन्यजीव संरक्षण और कानून प्रवर्तन के लिए मजबूत उपायों को बढ़ावा देना।
- मानव-वन्यजीव संघर्षों की बेहतर समझ और प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में खराब हुए परिदृश्य को पुनर्स्थापित करना।
- संरक्षण के लिए ज्ञान आधारित दृष्टिकोण और वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक अनुकूली ढांचे को बढ़ावा देना।

- स्थानीय क्षमता, संरक्षण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।

### 8.2.3. परियोजना क्षेत्र

भारतीय वन्यजीव संस्थान और मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सक्रिय सहयोग से यह परियोजना पांच हिमालयी राज्यों में चल रही है:

- जम्मू और कश्मीर
- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड
- अरुणाचल प्रदेश
- सिक्किम

### 8.3. अन्य संरक्षण प्रयास

#### 8.3.1. WWF-इंडिया का "हमारे हिम तेंदुओं को बचाओ कार्यक्रम"

- WWF-इंडिया ने टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के साथ साझेदारी में 10 जनवरी 2014 को SOS ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण करके प्रोजेक्ट हमारे हिम तेंदुओं को बचाओ (Save Our Snow Leopards (SOS)) लॉन्च किया।
- SOS क्राउड फंडिंग अभियान भारत में प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला क्राउड-फंडेड अभियान था, जिससे व्यक्तियों को संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने और सीधे फंड देने का मौका मिला।
- जुटाई गई धनराशि का उपयोग WWF की हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाना है जैसे:
  - रेंज राज्यों में हिम तेंदुओं की सटीक स्थिति और वितरण का अध्ययन करने के लिए कैमरा ट्रैप स्थापित करना;
  - हिम तेंदुए के आवासों में स्थानीय समुदायों के लिए शिकारी पूफ पशुधन कलमों के निर्माण का समर्थन करना जो हिम तेंदुए-मानव संघर्ष के प्रबंधन में मदद करेगा।

### 8.3.2. भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र

- उत्तराखंड उत्तरकाशी के जंगलों में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने जा रहा है।
- यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और आजीविका का सृजन करना है।
- यह हिम तेंदुओं और विभिन्न अन्य लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

### 8.3.3. हिमालय संरक्षक

- यह एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है जिसे हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था।

## 8.4. वैश्विक पहल

### 8.4.1. वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection-GSLEP)

- GSLEP हिम तेंदुए और इसके अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अपनी तरह का पहला अंतर-सरकारी गठबंधन है।
- यह 2013 में बनाया गया था जब अधिकारी, राजनेता और संरक्षणवादी इस प्रजाति और इसके निवास स्थान के संरक्षण में सहयोग करने के लिए बिश्केक घोषणा (2013) में निहित एक आम संरक्षण रणनीति पर पहुंचे।
- इसका नेतृत्व एशिया के 12 देशों के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा किया जाता है जो हिम तेंदुए की होम रेंज बनाते हैं। ये अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं।

- इसका सचिवालय बिश्केक में स्थित है, और किर्गिज़ गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी और तकनीकी पर्यवेक्षण मंत्रालय द्वारा होस्ट किया जाता है।
- भारत 2013 से GSLEP कार्यक्रम का एक पक्ष है।

#### 8.4.2. बिश्केक घोषणा

- 23 अक्टूबर, 2013 को हिम तेंदुओं के संरक्षण पर पहले वैश्विक मंच के दौरान बिश्केक घोषणा को अपनाया गया था।
- 2014 में, बिश्केक घोषणा की एक वर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए, मंच पर बारह देशों ने **23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस** के रूप में घोषित किया।

#### 8.4.3. January 2024: पहला व्यापक सर्वेक्षण: भारत में 718 हिम तेंदुओं का अनुमान

##### मुख्य निष्कर्ष

- वितरण:
  - हिम तेंदुए मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं
  - लद्दाख में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अनुमानित हिम तेंदुआ गणना
लद्दाख	477
उत्तराखंड	124
हिमाचल प्रदेश	51
अरुणाचल प्रदेश	36
सिक्किम	21
जम्मू और कश्मीर	9

##### • वैश्विक महत्व:

- भारत की जनसंख्या वैश्विक हिम तेंदुआ आबादी का 10-15% दर्शाती है

##### कार्यप्रणाली

- 1,971 स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए
- 13,450 किमी संभावित हिम तेंदुआ आवास का सर्वेक्षण किया गया

- स्थापित बाघ सर्वेक्षणों के समान सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया

## 9. भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का संरक्षण - Already covered in a separate handout earlier

## 10. भारत में कश्मीरी महामृग (हंगुल) संरक्षण

### 10.1. कश्मीरी महामृग

- हंगुल या कश्मीरी महामृग (*सरवस एलाफस हंगलू*) लाल हिरण की चार सबसे पूर्वी उप-प्रजातियों में से एक है जो एशिया में पाई जाती है और भारत के उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कश्मीर पहाड़ों के लिए स्थानिक है।
- यह जम्मू और कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों और पहाड़ों में घने नदी के जंगलों में पाया जाता है।
- कश्मीर में, यह मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जहाँ इसे संरक्षण प्राप्त है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में '**गंभीर रूप से संकटग्रस्त**' के रूप में नामित किया गया है।

#### 10.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- हंगुल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक रूप से कश्मीर के पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए थे, जिनकी संख्या लगभग 5,000 होने का अनुमान है।
- हालाँकि, निवास स्थान के विनाश, घरेलू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और अवैध शिकार के कारण, 1970 में यह संख्या घटकर लगभग 150 रह गई।
- घुमंतू पशुओं के चरवाहों की घुसपैठ और उनके रक्षक कुत्तों द्वारा शावकों का शिकार भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिससे प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा रहा है।

- इसके अलावा, दाचीगाम परिदृश्य में हंगुल की आबादी में अब अन्य प्रजातियों की तुलना में कम आनुवंशिक भिन्नता दिखाई देती है और इस प्रकार आंतरिक प्रजनन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो सकती है।

## 10.2. संरक्षण के प्रयास

### 10.2.1. प्रोजेक्ट हंगुल

- 1970 के दशक में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने IUCN और विश्व वन्यजीव कोष (WWF) के सहयोग से हंगुल और उसके आवास की सुरक्षा के लिए एक परियोजना तैयार की।
- परियोजना को प्रोजेक्ट हंगुल के रूप में जाना जाने लगा और वर्ष 1980 तक इसकी जनसंख्या बढ़कर 340 हो गई।
- इसमें इसके संरक्षण और रक्षण के लिए अन्य उपायों के साथ हंगुल का कृत्रिम प्रजनन शामिल था।

### 10.2.2. हंगुल संरक्षण परियोजना

- वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना 2010 में जम्मू और कश्मीर में वन्य जीवन और जंगल की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, जिसकी शुरुआत हंगुल के संरक्षण से हुई थी।
- इसे सामुदायिक समर्थन, जागरूकता और वन्य जीवन के प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। इसका उद्देश्य प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदलना और मनुष्यों और जानवरों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना भी था।
- वन्यजीव संरक्षण कोष ने हंगुल संरक्षण परियोजना शुरू की। कोष का उद्देश्य कश्मीर में हंगुल की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित मुद्दों को हल करना है, विशेष रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में।

## 10.3. हंगुल गणना

- मार्च 2021 में, हंगुल की आबादी का अनुमान लगाने के लिए कश्मीर में की गई एक गणना ने शुरुआती निष्कर्षों को उत्साहजनक दिखाया।

- कश्मीर घाटी में जनसंख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में दर्ज 237 की तुलना में अब यह 261 है।
- नवीनतम गणना से यह भी पता चलता है कि प्रति 100 महिलाओं पर हंगुल पुरुषों की संख्या 126 थी, जो 2019 में 153 थी।
- प्रति 100 मादा शावकों की संख्या 2019 में 9 से बढ़कर 2021 में 13.4 हो गई है।
- अनुपात आदर्श रूप से 40-50 नर/100 मादा और 60 मृग/100 मादा से अधिक होना चाहिए।

## 11. भारत में ओलिव रिडले कछुओं का संरक्षण

### 11.1. ओलिव रिडले

- ओलिव रिडले समुद्री कछुआ (*लेपिडोचेलीस ओलिवेसिया*) को पैसिफिक रिडले समुद्री कछुआ भी कहा जाता है।
- ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में हैं, जो प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में रहते हैं।
- ये कछुए अपना पूरा जीवन समुद्र में व्यतीत करते हैं, और एक वर्ष के दौरान भोजन और संभोग के मैदानों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
- मादाएं अपने अंडे देने के लिए उसी समुद्र तट पर लौटती हैं जहां से वे पहली बार निकली थीं।
- इस अभूतपूर्व घोंसले बनाने की क्रिया में, अंडे देने के लिए पांच से सात दिनों की अवधि में 600,000 और उससे अधिक मादाएं पानी से निकलती हैं।
- वे अपने अंडे शंक्वाकार घोंसलों में लगभग डेढ़ फीट गहरे रखते हैं, जिसे वे अपने हिंड फिल्लिपर्स के साथ श्रमसाध्य रूप से खोदते हैं।
- ओलिव रिडले को IUCN के अनुसार **सुभेद्य** (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और CITES के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है।

## 11.2. भारत में आवास

- भारत में उड़ीसा का तट ओलिव-रिडले के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल है, इसके बाद मैक्सिको और कोस्टा रिका के तट आते हैं।
- रूशिकुल्या तट को विश्व में एक प्रमुख घोंसला बनाने वाली जगह माना जाता है और हर साल लाखों की संख्या में ओलिव रिडले अंडे देने के लिए यहाँ आते हैं।
- गहिरमाथा समुद्र तट और देवी नदी का मुहाना ओडिशा के दो अन्य प्रमुख नीडन स्थल हैं।
- वे आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के साथ तमिलनाडु के तट पर भी प्रजनन करते हैं।

## 11.3. संरक्षण के मुद्दे

मानव गतिविधियों के कारण ओलिव रिडले को अपने प्रवासी मार्ग, आवास और समुद्र तटों पर घोंसले को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है जैसे कि,

- कछुआ अमित्र मछली पकड़ने की प्रथाएं,
- बंदरगाहों और पर्यटन केंद्रों के लिए नीडन समुद्र तटों का विकास और दोहन।
- उनका मांस, खोल और चमड़े, और उनके अंडे के लिए बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन:** एक समुद्री कछुए के जीवन के सभी चरण पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जैसे कि तापमान-यहाँ तक कि संतति का लिंग भी।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य रूप से गर्म तापमान सामान्य लिंगानुपात को बाधित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नर शिशु कछुओं की संख्या कम हो सकती है।
  - गर्म समुद्र की सतह का तापमान भी समुद्री कछुओं के लिए महत्वपूर्ण चारागाहों के नुकसान का कारण बन सकता है, जबकि तेजी से गंभीर तूफान और समुद्र के स्तर में वृद्धि महत्वपूर्ण घोंसले के समुद्र तटों को नष्ट कर सकती है और घोंसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

## 11.4. संरक्षण के प्रयास

### 11.4.1. ऑपरेशन ओलिविया

- यह 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय तट रक्षक द्वारा शुरू किया गया था।
- हर साल, यह ऑपरेशन ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और नीडन के लिए ओडिशा तट पर इकट्ठा होते हैं।
- तट रक्षक संपत्तियों जैसे तेज गश्ती जहाज, एयर कुशन जहाज, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और डोर्नियर विमान का उपयोग करते हुए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।
- यह अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को भी रोकता है।

### 11.4.2. कछुआ बहिष्कृत उपकरण

- भारत में आकस्मिक हत्याओं को कम करने के लिए, ओडिशा सरकार ने जाल के लिए कछुआ बहिष्कृत उपकरण (TEDs) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यह विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ डिज़ाइन किया गया जाल है जो मछलियों को पकड़ने के दौरान कछुओं को भागने की जगह देता है।

## 12. भारत में पैंगोलिन संरक्षण

### 12.1. भारत में पैंगोलिन

- पैंगोलिन, जिन्हें पपड़ीदार एंटडेटर्स के रूप में भी जाना जाता है, वे एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं जिनके बड़े केराटिन शल्क उनकी त्वचा को ढके रहते हैं।
- वे पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन कुछ कीड़ों की आबादी पर भी नज़र रखते हैं जिनका वे शिकार करते हैं।
- दुनिया भर में पाई जाने वाली आठ प्रजातियों (एशिया और अफ्रीका में चार-चार) में से दो भारत में पाई जाती हैं: इंडियन पैंगोलिन (*मैनिस् क्रैसिकाउडाटा*) और चाइनीज पैंगोलिन (*मैनिस् पेंटाडैक्टाइला*)।

- भारतीय पैंगोलिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर हिमालय के दक्षिण में पूरे देश में पाया जाता है, जबकि चीनी पैंगोलिन की सीमा असम और पूर्वी हिमालय से होती है।
- IUCN रेड लिस्ट के अनुसार भारतीय पैंगोलिन को '**संकटग्रस्त**' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और चीनी पैंगोलिन को '**गंभीर रूप से संकटग्रस्त**' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

### 12.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- भारत में पैंगोलिन के लिए प्रमुख खतरे पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से चीन और वियतनाम में इसके मांस और स्केल/पपड़ी के लिए स्थानीय खपत (जैसे प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शिकार और अवैध शिकार हैं।
- पैंगोलिन विश्व में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनधारियों में से हैं।
- TRAFFIC के विश्लेषण के अनुसार, 2018-2022 तक भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए 1,203 पैंगोलिन का शिकार किया गया था।
- जनसंख्या और वितरण पर अपर्याप्त जानकारी शिकार और अवैध शिकार से उत्पन्न होने वाले खतरों को और बढ़ा देती है।
- ★ उन्हें वनों की कटाई और आवास के नुकसान से भी खतरा है।

### 12.2. संरक्षण के प्रयास

- भारत में, वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा संरक्षित हैं जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- 2017 में CITES द्वारा पैंगोलिन के वाणिज्यिक व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- फरवरी 2015 में, TRAFFIC ने WWF-India और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) के साथ साझेदारी में पैंगोलिन में अवैध व्यापार को रोकने की दिशा में जागरूकता पैदा करने और प्रयासों को मोड़ने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था।

**मैनिम मिस्टीरिया**

- वैज्ञानिकों ने पैंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम "मैनिम मिस्टीरिया" है।
- नई पहचानी गई पैंगोलिन प्रजाति 2015 और 2019 में चीन के युन्नान प्रांत में जब्त किए गए स्केल के विस्तृत अध्ययन से सामने आई।
- ऐसा माना जाता है कि यह नई प्रजाति लगभग पाँच मिलियन वर्ष पहले अपने फिलीपीन और मलायन रिश्तेदारों से अलग हो गई थी।

## 13. चीता पुनः परिचय परियोजना (Cheetah Reintroduction Project)

### 13.1. चीता पुनः परिचय परियोजना की शुरुआत

- चीता पुनः परिचय परियोजना, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना है, औपचारिक रूप से 17 सितंबर, 2022 को शुरू हुई।
- 1952 में चीता को आधिकारिक रूप से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आखिरी चीता 1947 में मारा गया था।

### 13.2. चीता पुनः परिचय परियोजना की पृष्ठभूमि

- भारत में चीता का परिचय प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है, जो दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़ी वन मांसाहारी ट्रांसलोकेशन परियोजना है।
- हालाँकि, जिन चीतों को फिर से लाया जा रहा है वे अफ्रीकी चीते हैं।
- भारत के स्वदेशी चीते जो विलुप्त हो गए, वे एशियाई चीते हैं जो आज केवल ईरान में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं।
- चीता के पुनः परिचय के लिए पहली पसंद ईरान था और 1970 के दशक में ईरान के शाह के साथ बातचीत चल रही थी।

- लेकिन 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति में शाह के शासन को उखाड़ फेंकने से इस पहल का अंत हो गया।

## THE CHEETAHS ARE COMING



### HOW MANY?

**20**

8 from Namibia  
+ 12 from SA



### WHERE?

Kuno National Park, Madhya Pradesh

(Kuno National Park will have a 600-hectare fenced enclosure to house the Cheetahs)

What is the carrying capacity of Kuno?

**21**  
Cheetahs

What is the long-term population size expected? **50+**

Are there similar relocation programmes? South Africa to Malawi, Mozambique

Could it share its space? Yes, with Asiatic lions

Are there threats? Yes, with Kuno's existing leopard population

**Figure: भारत में चीता का पुनः परिचय**

### 13.3. चीता पुनः परिचय परियोजना का महत्व

- चीता भारत में खुले जंगल और चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद करेगा। यह जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाएगा, जिससे समाज को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

### 13.4. चीता के पुनः परिचय के लिए चिंताएं

- भारत में चीतों की मृत्यु एक कारण से हुई और वह कारण - मानव दबाव - प्रजातियों के गायब होने के बाद से 70 वर्षों में और भी बदतर हो गया है।
- साथ ही वे ऐसे क्षेत्र में होंगे जो तेंदुआ और बाघों की आबादी वाले क्षेत्रों के बीच है।

- यदि ये बड़ी बिल्लियाँ चीते पर हमला करती हैं या भोजन के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो चीता जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा क्योंकि वह मजबूत तेंदुओं या बाघों के खिलाफ जीवित नहीं रह सकता।
- अफ्रीकी चीता प्राप्त करने की पहल न तो विज्ञान आधारित है और न ही राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकता है। यह उच्च प्राथमिकता वाले संरक्षण के मुद्दों से महत्वपूर्ण रूप से ध्यान भटकाएगा जैसे कि बहुत विलंबित शेर स्थानांतरण।

### 13.5. नया विकास

- जनवरी 2024 में, स्थानांतरित नामीबियाई चीतों में से एक 'आशा' ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन शावकों को जन्म दिया था।
- अगले कुछ महीनों तक नवजात शावकों पर पशु चिकित्सकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्हें जंगल में कब छोड़ा जाए इसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति करेगी।
- मार्च 2023 में, एक और चीता, सियाया, जिसे बाद में ज्वाला नाम दिया गया, ने चार शावकों को जन्म दिया था। हालाँकि, उनमें से केवल एक ही जीवित बचा।

Most Trusted Learning Platform



KHAN SIR

